न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–05 / 2023

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्याम सुन्दर पुत्र कानाराम जाति माली निवासी हनुमान बाग, नागौर। (मैसर्स मानसरोवर भोजनालय, नागौर)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीर मोहम्मद

निर्णय

दिनांक –26.09.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 20.02.2024 को अधिवक्ता श्री पीर मोहम्मद ने वकालतनामा पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 10.01.2023 को श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री दिव्या विश्नाई प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नागौर शहर में घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत मैसर्स मानसरोवर भोजनालय, लक्ष्मीतारा सिनेमा हॉल के सामने नागौर पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री कानाराम उपस्थित मिले। श्री श्यामसुन्दर की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण करने पर एक सिलेण्डर एचपी कम्पनी का जो सिलेण्डर रेग्यूलेटर के माध्यम से गैस स्टॉव के पाईप के माध्यम से लगा हुआ पाया गया जिसमें रोटिया बनाई जा रही थी एवं एक अन्य सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का जो रेग्यूलेटर एवं पाईप के माध्यम से गैस स्टॉव के लगा हुआ पाया जिस पर चाय बनाई जा रही थी। होटल का निरीक्षण करने पर होटल के पास बने एक छोटे से कमरे से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये जिसमें 1 सिलेण्डर भरा एवं 4 सिलेण्डर खाली पाये गये। श्री श्याम सुन्दर ने बताया कि उसके द्वारा घरेलू गैस से चाय एवं खाना बनाकर ग्राहको को दिया जाकर पैसे लिये जाते है। श्री श्यामसुन्दर से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के उपयोग एवं भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्री श्यामसुन्दर द्वारा किसी प्राकर के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं रकने पर घरेलू 7 गैस सिलेण्डर मय गैस, को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	एचपीसी	469999-T	खाली
2	एचपीसी	033438-T	खाली
3	एचपीसी	088892-S	खाली
4	एचपीसी	463747-S	खाली
5	इण्डेन	999270-E	1 किग्रा
6	इण्डेन	806091-S	2 किग्रा
7	बीपीसीएल	071557-T	14.2 किग्रा

26/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

उपरोक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के प्रतिनिधि श्री आनन्द की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री श्यामसुन्दर का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र प्रवर्तन अधिकारी ने सरासर गलत बना कर पेश किया है हस्तगत प्रकरण से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति है उसके विरूद्व बिना आधार के ऐसा परिवाद बनाने से उसकी बेइज्जती हुई है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 10.01.2023 को श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री दिव्या विश्नाई प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री श्यामसुन्दर से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 7 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 07 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर